उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-3/57/30-4-2013-8(4)पी/68
लखनऊ: दिनांक: 22 जनवरी, 2014

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 88 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य के बीच पारस्परिक परिवहन समझौता किए जाने के लिए प्रस्तावित अनुपूरक करार का प्रारूप, एतद्द्वारा समस्त संबंधित की सूचना के लिए और उसके संबंध में अभ्यावेदन आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित किया जाता है।

एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव से संबंधित अभ्यावेदन प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन अनुभाग-4 को संबोधित करके दिनांक 24 फरवरी, 2014 को या उसके पूर्व लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उक्त दिनांक को या उससे पूर्व प्राप्त किये गये प्रस्ताव और अभ्यावेदन पर दिनांक 25 फरवरी, 2014 को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में विचार किया जायेगा।

आज्ञा से,
(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/57(1)/30-4-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया, इस अधिसूचना को दिनांक 22 जनवरी, 2014 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4 खण्ड (क)(सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियां परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-3/57(2)/30-4-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
5- सचिव, भारत सरकार, सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.57/XXX-4-2013-8(4)P/68, dated January 22 , 2014.

No.3/57 /XXX-4-2013-8(4) P/68,
Dated Lucknow, January 22, 2014
Notification

In pursuance of the provisions of sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) the draft of reciprocal transport agreement proposed to be entered between the State of Uttar Pradesh and State of Rajasthan is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting representation in connection therewith.

Notice is hereby given that representation with respect to the said proposal should be submitted in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Anubhag-4 on or before February 24, 2014. The proposal and representation received on or before the said date will be considered on February 25, 2014 by the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Parivahan Vibhag-4 in his office Uttar Pradesh Sachivalaya, Lucknow.

By order,

(B.S. Bhullar)
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार का प्रारूप

यह करार आज दिनांक 07 नवम्बर, 2013 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तर प्रदेश सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित है) प्रथम पक्ष और राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राजस्थान सरकार " कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूँकि देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवश्यक है।

और चूँकि, इससे सम्बद्ध पक्ष चाहते हैं कि उनके मध्य उक्त विषय पर हुए समस्त पूर्ववर्ती करारों का अतिक्रमण करके एतद् पश्चात् दिये गये निबन्धन और शर्तों पर उनके मध्य करार किया जा सकता है।

अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्षकार ततद् द्वारा पारस्परिक रूप में निम्नलिखित करार करते हैं:-

1. यह करार सम्बन्धित राज्यों के सरकारी गजट में अन्तिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. मालयान अनुज्ञा पत्र:

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान अनुज्ञा पत्र

एकल बिन्दु कर आधार पर अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा माल यानों की संख्या पर निबन्धन के बिना जारी माल यान के लिए अनुज्ञा पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण की सिफारिस पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किये जायेंगे:-

(क) माल यान अनुज्ञापत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 में यथा विनिर्दिष्ट और सम्बन्धित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटर यान नियमावली के अधीन ऐसी शर्तों जिन्हें सम्बन्धित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, के अध्यधीन होंगे।

(ख) यह कि प्रतिहस्ताक्षर द्वारा आच्छादित यान का उपयोग व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे यान, व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे।

(दो) <u>मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87 के अधीन मालयान (अस्थायी अनुज्ञापत्र)</u>

एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना अनधिक तीस दिन की अवधि के लिए विद्यमान अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किये जा सकते हैं। इन अनुज्ञापत्रों द्वारा आच्छादित यानों पर अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य माल नही लादा और उतारा जाएगा। उन फेरों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा जो अनुज्ञापत्र की विद्यमानता के दौरान यानों पर निष्पादित किये जा सकते हैं।

3. ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र

(एक) ठेका गाड़ी परमिट (मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र)

यह अनुज्ञा-पत्र, पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जा सकते हैं। अनुज्ञा पत्रों में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा। अनुज्ञा पत्र में ऐसा क्रम भी अन्तर्विष्ट होगा जिसमें विभिन्न स्थान, ऐसे स्थान से आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक का उपदर्शन और अनुज्ञा पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित मोटर कैब से भिन्न गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची सहित प्रदर्शित किये जायेंगे।

http://uptransport.up.nic.in

(दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-87(1)(क) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(क) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी के अनुज्ञा पत्र, प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा उनकी संख्या पर किसी सीमा के बिना और व्यतिकारी राज्य की पूर्व सहमति के बिना जारी किये जायेंगे।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72के अधीन मंजिली गाड़ी अनुज्ञापत्र

(एक) उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी के संचालन के सम्बन्ध में पारस्परिक परिवहन समझौता अनुलग्नक "क" और "ख" के अनुसार होगा।

(दो) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित फेरों की संख्या तथा सम्भव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लम्बाई के अनुसार नियत की जायेगी। इस करार के प्रयोजन के लिएफेरा का तात्पर्य दैनिक एकल फेरा से है। अनुलग्नक "क" और "ख" में उल्लिलिखित मार्गों का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है। उक्त अनुलग्नकों में प्रदर्शित मार्ग के नाम या उसकी लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा और उसे करार के किसी उपान्तरण के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(तीन) अनुलग्नक-'क' में उल्लिखित मार्गों की समय सारिणी, दोनों राज्यों के अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियम की जायेगी और अनुलग्नक-'ख' में उल्लिखित मार्गों की मंजिली गाड़ियों की समय सारिणी, पारस्परिक परामर्श, यदि अपेक्षित हो, के पश्चात् सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा नियम की जायेगी।

(चार) किसी राज्य में स्थित भाग के लिए यात्री किराया अपने-अपने राज्य द्वारा नियम किये गये दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे।

(पॉच) पारस्परिक करार के अधीन आने वाले दानों राज्यों की मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, एकल बिन्दु कराधान आधार पर किया जायेगा जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा पत्र धारक को केवल विशेष मार्ग कर/यात्री कर/माल कर/ अतिरिक्त कर इत्यादि (जिस भी नाम से आरोपित किया जाय) का संदाय करना होगा।

(छः) यदि किसी यकारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र विनिश्चय करना सम्भव न हो तो व्यतिकारी राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(घ) के अधीन गृह राज्य अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर व्यकिारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा और मोटरयान को एकल बिन्दु कराधान आधार पर चलाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

परन्तु अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-81(2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(सात) व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों या उनके किसी भार पर राज्य परिवहन उपक्रमों से भिन्न, मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जायेगा।

(आठ) दोनों राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर संचालन, अपने स्वामित्व अथवा ऐसे स्वामी और उपक्रम के मध्य उपक्रम द्वारा उस यान के उपयोग हेतु की गयी किसी व्यवस्था के अधीन, अपने बेड़े की किसी वाहन द्वारा सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रम की सहमति पर कर सकेंगे।

http://upsanyatayat.up.nic.in

(नौ) अपने अपने राज्यों के परिवहन उपक्रम, अधिसूचित मार्गों पर मंजिली गाड़ी की नयी सेवायें जोड़ सकते हैं या दोनों राज्य सरकारों के अनुमोदन से लिखित पारस्परिक करार द्वारा समस्त सार्वजनिक मॉग को ध्यान में रखते हुए किसी विद्यमान मार्ग पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह भी होगा कि ऐसी सेवाओं के मामले में व्यतिकारी राज्य को अपने-अपने राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा कोई मोटरयान/मार्गकर संदेय नहीं होगा।

(दस) समस्त पूर्ववर्ती मंजिली गाडियों के अनुज्ञा पत्र, जो इस करार के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी एक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं, प्रवृत्त रहेंगे।

5. अस्थायी परमिट की सामान्य शर्तें

(एक) प्रत्येक माह जारी विभिन्न प्रकार के अस्थायी अनुज्ञा पत्रों (माल यान/ठेका गाड़ी) की पृथक-पृथक सूची, दूसरे राज्य द्वारा प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्तों को प्रस्तुत की जायेगी।

(दो) पूर्वगामी अनुच्छेद-4(छ:) के अधीन जारी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों को छोड़कर समस्त अस्थायी अनुज्ञा पत्र, यदि प्रतिहस्ताक्षरित या अनुज्ञात हों, द्विबिन्दु कराधान आधार पर होंगे जिसका तात्पर्य है कि ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा पत्र, धारक को सम्बन्धित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस सहित विशेष मार्गकर/यात्रीकर और मोटरयान कर/मार्ग कर, जैसी भी स्थिति हो, दोनों का संदाय करना होगा।

(तीन) उत्तर प्रदेश का परिवहन प्राधिकारी, राजस्थान राज्य के लिए ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रदान करते समय स्वामी/चालक को निर्देशित करेगा कि वह राज्य में प्रवेश करने के पूर्व सीमा पर स्थित कर संग्रह केन्द्रों/।जॉच चौकियों पर करों का भुगतान करे।

(चार) राजस्थान राज्य का परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रदान करते समय स्वामी/चालक को निर्देशित करेगा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य का देय कर, ई-भुगतान के माध्यम से या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा, जो भारतीय स्टेट बैंक में भुगतान योग्य हो या अन्य किसी रीति से जैसा परिवहन आयुक्त द्वारा बाद में निर्धारित किया जाय, भुगतान करें। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञा पत्र के लिए उपयोग की सम्भावना से बचाव के लिए बैंक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा पत्र में बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण पृषठांकित किया जायेगा और बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम से देय होगा जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो। ऐसे बैंक ड्राफ्टों को यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य की सीमा पर स्थित जॉच चौकियों/कर संग्रह केन्द्रों पर जमा किया जायेगा और यदि सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य का कर संग्रह केन्द्र न हो तो उसे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश बिन्दु पर कराधान अधिकारी के अवस्थित नजदीकी कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि इस प्रकार जमा कर की धनराशि में कोई कमी हो तो उसे सीमा पर स्थित जॉच चौकी पर नगद में आगणित और वसूल किया जायेगा जिसके लिए विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी। मोटरयान कर, यात्रीकर और माल कर अथवा अन्य किसी नये नाम से ये कर निर्धारित हों, के लिए पृथक डिमाण्ड ड्राफ्ट देय होंगे।

6. कराधान

विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञा पत्रों पर प्रचालित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की वाहनों के संदर्भ में व्यतिकारी राज्यों के कर, सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमावली के उपबन्धों के अनुसार संदेय होगें।

7. प्रतिहस्ताक्षर

दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वरा की गयी सिफारिस पर यथास्थिति, किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृत किया जायेगा।

8. कारीडोर मार्ग

http://sirsamadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं। अतएव राज्य के मोटरयानों की, जो ऐसे मार्गों पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहॉ किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहॉ अनुज्ञा पत्र मार्ग के उस भाग के सम्बन्ध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञा पत्र पर उस दूसरे राज्य क राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है विधिमान्य होगा।

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कारीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे यानों के अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अनुज्ञा पत्रों को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए उन अनुज्ञा पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है और वे एकल बिन्दु कर के आधार पर अनुज्ञात होंगे।

जब कभी पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य क मुक्त कारीडोर में वाहन प्रचालन के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जाएगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है। जारी करने वाला प्राधिकारी, सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम और नियमावली के अध्यधीन अनुज्ञापत्र धारक से ऐसे कारीडोर मार्ग का देय समस्त कर यथा विशेष मार्ग कर/यात्री कर इत्यादि, वसूल करेगा।

9. सामान्य

(एक) व्यतिकारी राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यिक मार्गों पर चल रहे यानों के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक की सुसंगत नियमावली के अधीन जारी कर, टोकनों, चालक और परिचालक अनुज्ञप्ति, परिवहन यान प्राधिकार और स्वस्थता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे।

(दो) यह करार ऐसे समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई नया करार नहीं हो जाता है। तथापि यह करार किसी भी राज्य द्वारा तीन माह की नोटिस जारी करने के पश्चात् विखण्डित किया जा सकता है। यह करार प्रत्येक वर्ष या दोनों में से किसी राज्य के परिवहन प्राधिकारी के अनुरोध पर पुनरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक

को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए
और उनकी ओर से
साक्षी

परिवहन आयुक्त एवं परिवहन विभाग,
कार्यवाहक अपर मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार
राजस्थान के राज्यपाल के लिए
और उनकी ओर से
साक्षी

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
अपर परिवहन आयुक्त
राजस्थान।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुलग्नक-ए

राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य अन्तर्राज्यीय मार्गों (राष्ट्रीयकृत मार्गों से भिन्न) एवं सेवाओं का विवरण

क्रम सं0	मार्ग का नाम	किलोमीटर			फेरे		अनुज्ञा पत्रों की संख्या		परिचालित कि0मी0	
		उत्तर प्रदेश	राजस्थान	योग	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राज स्थान	राजस्थान में उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में राजस्थान
1	**2**	**3a**	**3b**	**3c**	**4a**	**4b**	**5a**	**5b**	**6a**	**6b**
1	मथुरा-भरतपुर	22	14	36	48	36	24	18	672	792
2	कुम्हेर-गोवर्धन	19	8	27	26	10	16	8	208	190
3	भरतपुर-गोवर्धन वाया जाजमपट्टी	17	21	38	16	20	8	10	336	340
4	राजाखेड़ा-भदरौली वाया सादिकपुर	24	8	32	44	8	18	8	192	192
5	हिन्डोन-फतेहपुरन सीकरी वाया बयाना	6	78	84	4	24	4	24	314	144
6	बयाना-गोवर्धन वाया कुम्हेर, सौख	24	56	80	8	12	8	12	448	288
7	भरतपुर-फतेहपुर सीकरी वाया ऊचानगला	10	14	24	16	8	8	4	224	80
8	भरतपुर-अछनेरा वाया नोह, पिपला, ओल	12	18	30	6	8	3	4	108	96
9	रूपवास-फतेहपुर सीकरी वाया खनवामोड़	12	10	22	8	8	4	4	80	96
10	धौलपुर-फतेहपुर सीकरी वाया बारी, बसेड़ी रूपवास	27	58	85	4	8	2	4	232	216
	योग-				**180**	**142**	**95**	**96**	**2814-480= 2334**	**2434-224= 2210**

- राजस्थान में लम्बाई में 10 किलोमीटर तक के मार्गों का परिचालन किलोमीटर दूरी अपवर्जित कर दी गयी है।
- उत्तर प्रदेश में लम्बाई में 10 किलोमीटर तक के मार्गों की परिचालन किलोमीटर दूरी अपवर्जित कर दी गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुलग्नक-बी

उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्य के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गों पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित होने वाले मार्गों एवं सेवाओं का विवरण

क्रम सं0	मार्ग का नाम	किलोमीटर				एकल फेरा		परमिट		संचालन किलोमीटर	
		उत्तर प्रदेश	राजस्थान	अन्य	कुल	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राज स्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेश राजस्थान में
1	**2**	**3a**	**3b**	**3c**	**3d**	**4a**	**4b**	**5a**	**5b**	**6a**	**6b**
1	आगरा-ग्वालियर	32	29	66	127	0	20	0	10	0	580
2	आगरा-राजाखेड़ा	32	7	0	39	24	0	6	0	768	0
3	जयपुर-ग्वालियर	82	221	66	369	4	6	4	6	328	1326
4	आगरा-जयपुर-वाया ऊँचानगला	50	192	0	242	4	24	4	12	200	4608
5	ग्वालियर-दिल्ली वाया आगरा	146	29	164	339	2	10	2	5	292	290
6	जयपुर-कानपुर वाया आगरा	340	202	0	542	0	4	0	4	0	808
7	मथुरा-ग्वालियर वाया आगरा	90	29	66	185	6	6	3	3	540	174
8	मथुरा-भरतपुर-जयपुर	22	198	0	220	8	16	8	8	176	3168
9	अलीगढ़-अजमेर वाया मथुरा-जयपुर	86	334	0	420	4	2	4	2	344	668
10	वृंदावन-उदयपुर	37	630	0	667	2	2	2	2	74	1260
11	मथुरा-अल्वर	31	89	0	120	18	0	9	0	558	0
12	आगरा-भरतपुर वाया चिकसाना	42	16	0	58	6	0	2	0	252	0
13	आगरा-भरतपुर वाया फतेहपुर	50	13	0	63	14	8	7	4	700	104
14	आगरा-ढोलपुर	32	24	0	56	8	8	2	2	256	192
15	आगरा-खुजराहो	130	29	248	407	0	4	0	4	0	116
16	हरिद्वार-जयपुर वाया दिल्ली	145	167	184	496	12	12	12	12	1740	2004
17	मथुरा-कैलादेवी वाया भरतपुर	22	173	0	195	4	0	2	0	88	0
18	मेरठ-अजमेर-पुष्कर वाया दिल्ली	58	314	130	502	4	4	4	4	232	1256
19	मेरठ-बालाजी वाया अल्वर	58	163	147	368	2	2	2	2	116	326

http://shasanadesh.up.nic.in

20	मुरादाबाद-अजमेर वाया दिल्ली	161	299	130	590	0	4	0	4	0	1196
21	बरेली-अजमेर वाया मथुरा	257	331	0	588	4	2	4	2	1028	662
22	आगरा-अजमेर वाया भरतपुर	50	331	0	381	0	4	0	4	0	1324
23	बुलन्दशहर-अजमेर वाया मथुरा	154	331	0	485	0	2	0	2	0	662
24	महोबा-दिल्ली	195	29	171	395	0	4	0	4	0	116
25	झाँसी-दिल्ली	162	29	242	433	0	2	2	2	0	58
26	महोबा-दिल्ली	309	29	216	554	0	2	0	2	0	58
27	मेरठ-अल्वर वाया दिल्ली गुड़गाँव	58	38	147	243	4	2	4	2	232	76
28	सहारनपुर-अजमेर वाया दिल्ली	157	299	130	586		2		2	0	598
29	अलीगढ़-जयपुर वाया मथुरा-इग्लास	86	202	0	288	10	4	5	4	860	808
30	आगरा-बीकानेर वाया भरतपुर-जयपुर	50	552	0	602	2	0	2	0	100	0
31	नैनीताल-जयपुर वाया	210	167	228	605	4	2	4	2	840	334
32	सोरोन-पुष्कर वाया मथुरा-भरतपुर	146	345	0	491	0	6	0	6	0	2070
33	फर्रूखाबाद-जयपुर-अजमेर वाया कायमगंज	244	331	0	575	0	2	0	2	0	662
34	फर्रूखाबाद-जयपुर वाया मैनपुरी-आगरा	240	196	0	436	4	10	4	10	960	1960
35	लखनऊ-जयपुर वाया कानपुर-आगरा	430	196	0	626	8	4	8	4	3440	784
36	कोटद्वार-दिल्ली-जयपुर वाया कोटपुतली	195	167	134	496	0	2	0	2	0	334
37	भरतपुर-धौलपुर वाया फतेहपुर सीकरी	84	35	0	119	2	0	1	0	168	0
38	भरतपुर-ग्वालियर वाया चिकसाना	74	45	66	185	2	0	1	0	148	0
39	जयपुर-फिरोजाबाद	96	196	0	292	4	0	2	2	384	0
40	महावीरजी-शिकोहाबाद वाया आगरा एक्टेंशन कानपुर वाया मैनपुरी	257	127	0	384	2	0	2	0	514	0
41	भरतपुर-बा एक्टेंशन कानपुर वाया इटावा	280	16	0	296	2	0	2	0	560	0
42	कैलादेवी-सोरोन वाया आगरा	181	165	0	346	2	0	1	0	362	0
43	भरतपुर-कायमगंज वाया आगरा-एटा	208	11	0	219	2	0	1	0	416	0
44	जयपुर-राजाखेड़ा वाया भरतपुर-आगरा	85	202	0	287	4	0	2	0	340	0
45	टोक-फर्रूखाबाद वाया आगरा मैनपुरी	240	296	0	536	2	0	2	0	480	0

http://shasanadesh.up.nic.in

46	भरतपुर-इटावा-जयपुर वाया आगरा	179	11	0	190	2	0	2	0	358	0
47	धौलपुर-फर्रूखाबाद	222	24	0	246	2	0	1	0	444	0
48	धौलपुर-इटावा	159	24	0	183	2	0	1	0	318	0
49	धौलपुर-कायामगंज वाया एटा	188	24	0	212	2	0	1	0	376	0
50	धौलपुर-अलीगढ़ वाया आगरा	120	24	0	144	2	0	1	0	240	0
51	मथुरा-मुरैना वाया आगरा-धौलपुर	90	29	29	148	4	0	2	0	360	0
52	धौलपुर-सोरोन वाया आगरा-एटा	168	24	0	192	4	0	2	0	672	0
53	ग्वालियर-अलीगढ़ वाया आगरा	118	29	66	213	2	0	1	0	236	0
54	धौलपुर-दिल्ली वाया आगरा-मथुरा	132	24	100	256	4	4	2	2	528	96
55	जयपुर-रामनगर वाया दिल्ली मुरादाबाद	148	167	171	486	2	2	2	2	296	334
56	जयपुर-सोरोन वाया भरतपुर मथुरा	146	198	0	344	10	0	10	0	1460	0
57	भरतपुर-कोसी वाया ढींगकमान	18	70	0	88	6	0	3	0	108	0
58	भरतपुर-बाजना	85	14	0	99	6	0	3	0	510	0
59	अल्वर-आगरा वाया मथुरा	88	89	0	177	10	0	5	0	880	0
60	अल्वर-आगरा वाया भरतपुर	52	128	0	180	4	0	2	0	208	0
61	अल्वर-अलीगढ़ वाया मथुरा	91	89	0	180	2	0	2	0	180	0
62	अल्वर-बरेली वाया मथुरा-सोरोन	248	89	0	337	2	0	2	0	496	0
63	भरतपुर-सोरोन वाया मथुरा	146	17	0	163	4	0	2	0	584	0
64	सिंसनी-बाजना	93	43	0	136	2	0	1	0	186	0
65	भरतपुर-अलीगढ़ वाया मथुरा	88	17	0	105	10	0	5	0	880	0
66	भरतपुर-मानगढ़ी वाया मथुरा बाजना	94	17	0	111	2	0	1	0	188	0
67	भरतपुर-दाऊजी	43	17	0	60	2	0	1	0	86	0
68	जयपुर-दाऊजी	43	202	0	245	2	2	1	1	86	404
69	दिल्ली-भरतपुर वाया कानाढींग	27	67	100	194	18	0	9	0	486	0
70	दिल्ली-भरतपुर वाया मथुरा	71	17	100	188	4	4	2	2	284	68
71	जयपुर-गोवर्धन वाया ढींग	8	198	0	206	12	0	6	0	96	0
72	मथुरा-अजमेर वाया दिल्ली	58	299	130	487	2	0	2	0	116	0

http://shasanadesh.up.nic.in

73	जयपुर-मुरादाबाद वाया कोटपुतली दिल्ली	182	167	130	479	2	2	2	2	364	334
74	जयपुर-देहरादून वाया कोटपुतली-दिल्ली	136	167	227	530	4	2	4	2	544	334
75	खेरथारल-हस्तिनापुर वाया दिल्ली-मेरठ	99	69	130	298	2	0	2	0	198	0
76	महावीरजी-दिल्ली वाया भरतपुर-ढींग	27	164	100	291	2	0	2	0	54	0
77	अल्वर-मुरादाबाद-रामपुर वाया टीजारा भीवारी	189	95	93	377	2	0	2	0	378	0
78	जयपुर-हरिद्वारा वाया मथुरा	313	202	54	569	2	2	2	2	626	404
79	सीकर हरिद्वारा वाया दिल्ली	145	120	184	449	2	0	2	0	290	0
80	लडनू-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	246	184	575	2	0	2	0	290	0
81	झुंझुनू-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	137	184	466	2	0	2	0	290	0
82	बीकानेर-हरिद्वार वाया राजगढ़-जिन्द-शामली-मुज्जफरनगर	70	277	296	643	4	0	4	0	280	0
83	गंगानगर-हरिद्वार वाया हिसार-हॉसी-पानीपत-मुज्जफरनगर	70	227	272	569	2	0	2	0	140	0
84	जोधपुर-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	519	184	848	4	0	4	0	580	0
85	जालोन-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	585	190	920	2	0	2	0	290	0
86	उदयपुर-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	609	183	937	2	0	2	0	290	0
87	अल्वर-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	38	201	384	4	0	4	0	580	0
88	भरतपुर-हरिद्वार वाया मथुरा-अलीगढ़	313	17	54	384	2	0	2	0	626	0
89	धौलपुर-हरिद्वार वाया आगरा-अलीगढ़-मेरठ	347	24	54	425	2	0	2	0	694	0
90	मथुरा-ढींह-कोसी	47	40	0	87	2	0	1	0	94	0
91	झॉसी-मेरठ वाया ग्वालियर-धौलपुर	275	29	153	457	0	2	0	2	0	58
92	लखनऊ-अजमेर वाया हरदोई-फरीदाबाद-वेबर- आगरा	437	331	0	768	2	2	2	2	847	662
93	आगरा-कैलाबेवी वाया फतेहपुर सीकरी	50	170	0	220	2	2	1	1	100	340
94	आगरा-उदयपुर वाया भरतपुर-जयपुर	50	630	0	680	2	0	2	0	100	0
95	हिन्डौन-भरतपुर-मथुरा-सहारनपुर	295	94	0	389	2	0	2	0	590	0
96	अजमेर-वृंदावन	37	326	0	363	2	0	2	0	74	0
97	भरतपुर-कोसी वाया मथुरा ढींग	69	54	0	123	4	0	2	0	276	0

http://shasanadesh.up.nic.in

98	भरतपुर-मथुरा	29	13	0	42	12	0	3	0	348	0
99	ढोलपुर-समीखरा	136	24	0	160	2	0	1	0	272	0
100	मथुरा-ढींह	31	9	0	40	12	0	3	0	372	0
101	भरतपुर-गंजदुवारा	173	11	0	184	2	0	1	0	346	0
102	बरी-आगरा-इटावा वाया खैरगढ़-सानिया	42	48	0	90	2	0	1	0	84	0
103	ढोलपुर-बाह	71	24	0	95	2	0	1	0	142	0
104	भरतपुर-अकोला	40	11	0	51	2	0	1	0	80	0
105	जयपुर-सनोली वाया आगरा		198	0	1012	0	4	0	4	0	792
106	इलाहाबाद-पुष्कर वाया अजमेर-आगरा	541	345	0	886	0	2	0	2	0	690
107	बॉदा-अजमेर	443	331	0	774	0	2	0	2	0	662
108	आगरा-छतरपुर वाया ढोलपुर	130	29	245	404	0	10	0	10	0	290
109	कोथा-झॉसी वाया शिवपुरी	16	185	132	333	4	0	2	0	64	0
110	भरतपुर-हाथरस वाया आगरा	104	11	0	115	4	0	2	0	416	0
111	आगरा-माउंट आबू	50	660	0	710	1	1	1	1	50	660
112	टोंक-अलीगढ़	93	298	0	391	4	0	2	0	372	0
113	सोरोन-भरतपुर	178	11	0	189	2	0	1	0	356	0
114	आगरा-जोधपुर	50	526	0	576	4	0	4	0	200	0
115	धौलपुर-जयपुर वाया आगरा		217	0	299	14	0	7	0	1148	0
116	धौलपुर-जयपुर वाया आगरा-भरतपुर	82	550	0	632	2	0	2	0	164	0
117	लखनऊ-ढींग वाया मथुरा	473	9	0	482	0	2	0	2	0	18
118	अजमेर-शाहजहॉपुर वाया	313	331	0	644	0	2	0	2	0	662
119	फिरोजाबाद-आगरा वाया ग्वालियर-धौलपुर	76	29	66	171	2	0	2	0	152	0
120	हाथरस-आगरा वाया ग्वालियर-धौलपुर	87	29	66	182	2	0	2	0	174	0
121	अल्वर-अलीगढ़-हापुड़ वाया मथुरा-बुलन्दशहर	200	89	0	289	2	0	2	0	400	0
122	अल्वर-खैर-अलीगढ़ वाया मथुरा-बाजना	145	89	0	234	2	0	2	0	290	0
123	जयपुर-गोवर्धन-सोरोन वाया ढींग	174	198	0	372	2	0	2	0	348	0
124	जोधपुर-अलीगढ़	85	542	0	627	2	0	2	0	170	0

http://shasanadesh.up.nic.in

125	अजमेर-कानपुर	345	328	0	673	2	4	2	4	690	1312
126	श्रीमाधवपुर-रामघाट वाया नीम का थाना-अल्वर-मथुरा-अलीगढ़	138	200	0	338	2	0	2	0	276	0
127	भरतपुर-हरदोई वाया कायमगंज	616	22	0	638	2	0	2	0	1232	0
128	अल्वर-मुरादाबाद वाया टीजारा-भिवाडी-दिल्ली	157	94	96	347	2	0	2	0	314	0
129	कोटा-जयपुर-मुरादाबाद वाया कोटपुतली-दिल्ली	161	422	136	719	2	0	2	0	322	0
130	कोटा-जयपुर-बरेली वाया भरतपुर	243	457	0	700	2	0	2	0	486	0
131	जयपुर-टनकपुर वाया दिल्ली	233	167	242	642	2	0	2	0	466	0
132	भिलवाड़ा-हरिद्वार वाया जयपुर-कोटपुतली-दिल्ली	147	434	190	771	2	0	2	0	294	0
133	चित्तौड़गढ़-हरिद्वार वाया बैगुन मंडलगढ़ देवली-डौंक जयपुर	147	511	190	848	2	0	2	0	294	0
134	लडनू-हरिद्वार वाया मेहला-भिवानी रोहतक-पनीपत-रूड़की	90	209	258	557	2	0	2	0	180	0
135	लडनू-हरिद्वार वाया सुजानगढ़-रतनगढ़-चुर्रू-राजगढ़-हिसार-पानीपत	90	211	276	577	2	0	2	0	180	0
136	जयपुर-कोटद्वार वाया दिल्ली	125	167	173	465	2	0	2	0	250	0
137	जयपुर-रूद्रपुर वाया दिल्ली	190	158	158	506	2	0	2	0	380	0
138	कैलादेवी-हरिद्वार वाया मथुरा	259	173	54	486	2	0	2	0	518	0
139	भरतपुर-हरिद्वार वाया मथुरा	259	17	54	330	2	0	2	0	518	0
140	कोटा-हरिद्वार वाया जयपुर दिल्ली	145	419	184	748	2	2	2	2	290	838
141	खेतरी-हरिद्वार वाया नारनौर-रिवाडी-दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ-मुज्जफरनगर	143	74	243	460	2	0	2	0	286	0
142	बारमेल-हरिद्वार वाया बीकानेर-राजगढ़-हिसार-पानीपत-मुज्जफरनगर	90	705	537	1332	2	0	2	0	180	0
143	कुच्चामान-हरिद्वार वाया शिकार-नीम का थाना दिल्ली	143	263	184	590	2	0	2	0	286	0
144	ढीगाना-हरिद्वार वाया शिकार-नीम का थाना दिल्ली	143	340	184	667	2	0	2	0	286	0
145	नागौर-हरिद्वार वाया ढिढवाना-शिकार	143	361	184	688	2	0	2	0	286	0
146	नागौर-हरिद्वार वाया भोपाल-मेरटा-अजमेर-दिल्ली	143	536	184	863	2	0	2	0	286	0

http://shasanadesh.up.nic.in

147	श्रीमाधवपुर-हरिद्वार वाया अजीतगढ़-सापुड़ा दिल्ली	143	141	184	468	2	0	2	0	286	0
148	सांभर-हरिद्वार वाया जाबनेर-रिनवल-छोमू-चॉंदवाजी-कोटपुतली-दिल्ली	143	235	184	562	2	0	2	0	286	0
149	अजमेर-हरिद्वार वाया दिल्ली	145	299	184	628	2	0	2	0	290	0
150	फालोदी-हरिद्वार वाया बाप-बीकानेर-सरदार शहर-राजगढ़-हिसार-पानीपत-मुज्जफरनगर	90	433	294	817	2	0	2	0	180	0
151	बीकानेर-हरिद्वार वाया लंकारनसर--रावतसर-नोहार-बढ़ारा-हिसार	90	332	258	680	2	0	2	0	180	0
152	हाथरस-जयपुर वाया मथुरा-भरतपुर	70	202	0	272	0	2	0	2	0	404
153	उरई-पुष्कर वाया जालौन-औरैया-आगरा-जयपुर	253	345	0	598	0	2	0	2	0	690
154	कोटरा-बालाजी वाया जालौन-इटावा-आगरा	368	72	0	440	0	4	0	4	0	288
155	उरई-जयपुर वाया उमरी-रामपुर-कंजौसा-उडीमोड़-आगरा	310	192	0	502	0	2	0	2	0	384
156	झॉसी-कोटा वाया शिवपुर-बारंग	16	185	132	333	0	4	0	4	0	740
157	टीकमगढ़-दिल्ली वाया झॉसी ग्वालियर आगरा	215	29	312	556	0	2	0	2	0	58
158	उरई-कैलादेवी वाया माधोगढ़-रामपुरा-कनलौसा-उड़ीमाड-आगरा	308	165	0	473	0	4	0	4	0	660
159	मुरादाबाद-अजमेर वाया सम्भल-अलीगढ़-आगरा	342	338	0	680	0	4	0	4	0	1352
160	मुरादाबाद-जयपुर वाया चंदौसी-अलीगढ़-आगरा	302	198	0	500	0	2	0	2	0	396
161	मुरादाबाद-ग्वालियर वाया आगरा-धौलपुर	282	29	66	377	0	2	0	2	0	58
162	धामपुर-जयपुर वाया बिजनौर-दिल्ली	199	167	130	496	0	2	0	2	0	334
163	मेरठ-जयपुर-वनस्थली वाया दिल्ली	57	243	112	412	0	2	0	2	0	486
164	बाह-आगरा-जयपुर	125	196	0	321	0	2	0	1	0	392
165	फिरोजाबाद-जयपुर वाया ऊँचा नगला	100	196	0	296	0	2	0	1	0	392
166	राजाखेड़ा-दिल्ली	152	7	89	248	0	2	0	1	0	14
167	रूपेडिहा-जयपुर वाया आगरा	636	196	0	832	0	2	0	2	0	392
168	सीतापुर-अजमेर-पुष्कर वाया नैमिषारण्य-हरदोई-	418	331	0	749	0	2	0	3	0	662

http://shasanadesh.up.nic.in

	फर्रूखाबाद-आगरा										
169	बरेली-जयपुर वाया मथुरा	249	202	0	451	0	6	0	6	0	1212
170	बदायूँ-अजमेर	243	288	0	531	0	2	0	2	0	576
171	बरेली-रूद्रपुर-जयपुर	281	202	42	525	0	2	0	2	0	404
172	बरेली-टनकपुर-जयपुर	323	202	37	562	0	2	0	2	0	404
173	रूपेडिहा-जयपुर वाया आगरा	557	202	0	759	0	2	0	2	0	404
174	चित्रकूट-जयपुर वाया कानपुर आगरा	566	196	0	762	0	2	0	3	0	392
175	इलाहाबाद-जयपुर वाया कानपुर आगरा	541	202	0	743	0	4	0	4	0	808
176	सहारनपुर-शामली-पानीपत-हिसार हनुमानगढ़	90	165	207	462	0	2	0	2	0	330
177	हरिद्वार-मेरठ-दिल्ली-जयपुर पुष्कर	143	314	186	643	0	4	0	4	0	1256
178	मुज्जफरनगर-दिल्ली-जयपुर	115	167	130	412	0	2	0	2	0	334
179	मुज्जफरनगर-मेरठ-मथुरा-अल्वर	295	89	0	384	0	2	0	2	0	178
180	मुज्जफरनगर-मेरठ-अजमेर-पुष्कर	115	314	130	559	0	2	0	2	0	628
181	मुज्जफरनगर-मेरठ-मथुरा-महावीरजी	223	113	0	336	0	2	0	2	0	226
182	सहारनपुर-मेरठ-मथुरा वाया महावीरजी	295	113	0	408	0	2	0	2	0	226
183	सहारनपुर-मेरठ-दिल्ली-जयपुर		167	130	484	0	2	0	2	0	334
184	सहारनपुर-मेरठ-मथुरा-बालाजी	360	104	0	464	0	2	0	2	0	208
185	सहारनपुर-शामली-दिल्ली-जयपुर	156	167	159	482	0	2	0	2	0	334
186	शाकम्बरी देवी-भरतपुर-सहारनपुर-मेरठ-मथुरा	405	13	0	418	0	4	0	4	0	52
187	कोटा-देहरादून वाया जयपुर-दिल्ली	143	422	235	800	2	0	2	0	286	0
188	लालसोंठ-सोरोन	146	175	0	321	2	0	2	0	292	0
189	धौलपुर-कोसी वाया खेरागढ़-अचनैरा-गोवरधन-नंदगॉव	131	35	0	166	2	0	1	0	262	0
190	मुरादाबाद-अलीगढ़-अजमेर वाया मथुरा-जयपुर	236	334	0	570	2	0	2	0	472	0
191	अल्वर-आगरा-फिरोजाबाद वाया मथुरा-टुण्डला	133	89	0	222	44	0	4	0	532	0
192	रामपुर-जयपुर वाया दिल्ली	190	167	130	487	2	4	2	4	380	668
193	मुरादाबाद-कोटा वाया दिल्ली	261	419	136	816	0	2	0	2	0	838
194	रामपुर-जयपुर वाया शाहबाद-सम्भल-आगरा	369	198	0	567	0	2	0	2	0	396

http://shasanadesh.up.nic.in

195	कन्नौज-अजमेर वाया आगरा-जयपुर	363	331	0	694	0	4	0	4	0	1324
196	दौसा-सोरों वाया खेली-गोवरधन-मथुरा	191	110	0	301	2	0	2	0	382	0
197	सवाइमाधोपुर-सोरों वाया गंगापुर-सिकंदरा-नदबाई-गोवरधन-मथुरा	191	207	0	398	4	0	4	0	764	0
198	दौसा-बरेली वाया भरतपुर-मथुरा	217	110	0	327	4	0	4	0	868	0
199	सवाइमाधोपुर-मथुरा वाया गोवरधन	34	207	0	241	2	0	2	0	68	0
	कुल-	34549	36752	13607	84908	523	335	367	280	55858	56774

http://shasanadesh.up.nic.in